

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- C-459 / ग्रा0अ0वि0 / ठेके0पंजी0-89 / वरि0सहा0-द्वि0 / 18-19, दिनांक- 26-2-19

पंजीकरण संख्या- 493 / श्रेणी-'A' मार्ग एवं भवन / 2019

-: पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ के संख्या-1966 / दिनांक-14-02-2019 से प्राप्त मेसर्स नितेश कान्स्ट्रक्शन, (प्रोपराइटर श्री नितेश यादव पुत्र श्री अनिल यादव), निवासी 489/3/3 मंगल पाण्डेयनगर, मेरठ का विभाग में मार्ग निर्माण कार्य हेतु श्रेणी में 'ए' में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मेसर्स नितेश कान्स्ट्रक्शन, (प्रोपराइटर श्री नितेश यादव पुत्र श्री अनिल यादव), निवासी 489/3/3 मंगल पाण्डेयनगर, मेरठ के "A" मार्ग एवं भवन में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा अस्थाई रूप से पंजीकृत किया जाता है, तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अनिल कुमार गर्ग)

मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ
2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
5. निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
6. मेसर्स नितेश कान्स्ट्रक्शन, (प्रोपराइटर श्री नितेश यादव पुत्र श्री अनिल यादव), निवासी 489/3/3 मंगल पाण्डेयनगर, मेरठ (मो0न-7500066532, 7895373786)(ईमेल-vmyadav279@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा। साथ ही आपके चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 07.04.2019 एवं हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 03.09.2019 है, हैसियत एवं चरित्र की वैधता समाप्त होने के एक माह पूर्व इनकी नवीन प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें अन्यथा आपका पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। उक्त वैधता तिथि के पश्चात आप किसी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
7. अवर अभियंता(प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियंता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इन्ट्री विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।



मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी)